

सं. वीपीएस-27/01/2022-23-प्रशासन

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली

01 फरवरी, 2023

कार्यालय आदेश सं.16/2023

विषय: कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण-केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 और शिकायत निवारण तंत्र का गठन

इस सचिवालय के कार्यालय आदेश सं. 78/2022 दिनांक 20 जून, 2022 के क्रम में उपराष्ट्रपति सचिवालय की शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन 01 फरवरी, 2023 से किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

- | | |
|---|----------|
| 1. श्रीमती सरिता चौहान, अवर सचिव | -अध्यक्ष |
| 2. सुश्री रिनी चौधरी, सहायक निदेशक, पी.आई.बी.
(पी.आई.बी.प्रतिनिधि) | -सदस्य |
| 3. श्री आशीष आनंद, अनुभाग अधिकारी | -सदस्य |
| 4. श्रीमती सुनीता खैस, टेलीफोन ऑपरेटर | -सदस्य |

Suresh

(सुजीत कुमार)

भारत के उपराष्ट्रपति के
निजी सचिव

प्रतिलिपि:

1. सभी संबन्धित अधिकारी।
- ✓ 2. एनआईसी अनुभाग, आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. नोटिस बोर्ड।